कृषि महाविद्यालय, बायतु–344034
(कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर)

COLLEGE OF AGRICULTURE, BAYTU-344034
(AGRICULTURE UNIVERSITY, JODHPUR)

E-mail: deanbatadubarmer@aujodhpur.ac.in Contact No.: (O) 02982-294348/(M) 9530490348

क्रमांक एफ (17)/स्टोर/कृ.महा./बायतु/2025/608-10 दिनांक–22/05/2025

खुली निविदा सूचना

कृषि महाविद्यालय, बायतु के वित्तीय वर्ष 2025–26 में श्रमिकों की आपूर्ति हेतु द्वि विड पद्धति (तकनीकी एवं वित्तीय) खुली निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र राजस्थान लोक उपायनन की वेबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in एवं www.aujodhpur.ac.in से या निविदा शुल्क रूपये 500/– अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, बायतु के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट, ई–भुगतान या बैंक चैक से भुगतान कर प्राप्त सकते है।

क्र. सं.	कार्य विवरण	अनुमानित राशि (रू)	2 प्रतिशत धरोहर राशि	निविदा शुल्क (रू)
1.	कृषि महाविद्यालय, बायतु में साफ–सफाई, चपरासी, टंकण कार्य, लेखा लिपिक, एकाउण्टेंट, कार्यालय कार्य, प्रयोगशाला कार्य, आशुलिपिक, संगणक, कृषि कार्य, बागवानी कार्य इत्यादि एवं अन्य कार्यो के लिए–अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल व उच्च कुशल श्रमिक आपूर्ति हेतु	4,90,000/-	9000/-**	500/-

**वित्त विभाग, राज. सरकार के पत्र क्रमांक एफ. 2 (1) वित्त/जीएंडटी–एसपीएफसी/2017 दिनांक 23.12.2020 के अनुसार दिनांक 31.12.2021 तक आमंत्रित की जाने वाली बोलियों पर बिड सिक्योरिटी के संबंध में घोषणा पत्र (Declaration) प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है।

क्र. सं.	निविदा प्राप्ति समय	निविदा प्राप्ति अन्तिम तिथि व समय	निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि	निविदा खोलने की तिथि	निविदा खोलने का स्थान
1.	कार्यालय दिवस में सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक	05/06/2025 सुबह 09:00 बजे तक	05/06/2025 सुबह 11:00 बजे तक	05/06/2025 12:00 बजे से	कृषि महाविद्यालय, बायतु

अधिष्ठाता
DEAN
College of Agriculture
Baytu - 344034

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर को सूचनार्थ ।
2. वित्त नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर को भेजकर लेख है कि स्वयं अथवा नामित सदस्य को सुचित दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में उपस्थिति का श्रम करावें।
3. कोषाधिकारी, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर
4. वेब मेनेजर वेबसाइट, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
5. निविदा समिति सदस्यगण, कृषि महाविद्यालय, बायतु।
6. लेखा शाखा, कृषि महाविद्यालय, बायतु।
7. निविदा फाइल।
8. रक्षित फाइल।

भण्डार प्रभारी

कृषि महाविद्यालय, बायतु–344034
(कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर)

COLLEGE OF AGRICULTURE, BAYTU-344034
(AGRICULTURE UNIVERSITY, JODHPUR)

E-mail: deanbatadubarmer@aujodhpur.ac.in Contact No.: (O) 02982-294348/(M) 9530490348

तकनीकी निविदा प्रपत्र–1

(लिफाफा सं. 1 में रखे)

निविदादाता / फर्म / संस्था का नाम व पता...

दूरभाष :– .... ई–मेलः– ....

क्र.स.	कार्य का विवरण	
1.	योजना का नाम	कृषि महाविद्यालय, बायतु में साफ–सफाई, चपरासी, टंकण कार्य, लेखा लिपिक, एकाउण्टेंट, कार्यालय कार्य, प्रयोगशाला कार्य, आशुलिपिक, संगणक, कृषि कार्य, बागवानी कार्य इत्यादि एवं अन्य कार्यो के लिए– अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल व उच्च कुशल श्रमिक आपूर्ति हेतु
2.	निविदा संदर्भ	कृषि महाविद्यालय, बायतु पर विभिन्न कार्यो के लिए अकुशल, अर्ध्दकुशल, कुशल व उच्च कुशल श्रमिक आपूर्ति निविदा।
3.	निविदा प्राप्ति अन्तिम तिथि व समय	05 / 06 / 2025 सुबह 09:00 बजे तक
4.	निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि	05 / 06 / 2025 सुबह 11:00 बजे तक
5.	निविदा खोलने की तिथि	05 / 06 / 2025 12:00 बजे से
6.	निविदा खोलने का स्थान	कृषि महाविद्यालय, बायतु

1. निविदा का विवरण लिफाफे के ऊपर साफ लिखकर **अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, बायतु–344034** स्पष्ट लिखकर कार्यालय में प्रस्तुत करें ।
2. प्रस्तावित निविदा सीलबन्द होनी चाहिए।
3. निविदा मे अंकित दरें स्पष्ट रूप में लिखी होनी चाहिए।
4. राजस्थान सरकार (श्रम विभाग) द्वारा जारी परिपत्र में निर्धारित न्यूनतम मजदुरी दर (जो निविदा फार्म में दर्शायी गयी हैं) से कम प्रस्तुत की गई दरों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
5. दरों में संशोधन / परिवर्तित होने पर श्रमिकों को उसी दर से भुगतान करना होगा।
6. तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा दो अलग–अलग लिफाफों में प्रस्तुत करें।
7. दरें प्रपत्र–2 में दर्शायी गई तालिका में लिफाफा सं. 2 वित्तीय निविदा में देनी है।
8. तकनीकी बिड (लिफाफा सं. 1) पूर्ण होने पर ही वित्तीय बिड (लिफाफा सं. 2) खोली जायेगी।
9. निविदा मे वर्णित संपूर्ण प्रपत्र निविदा फार्म के साथ भरकर संलग्न करें।
10. फर्म द्वारा घोषणा कि फर्म काली सूची में नहीं है।
11. पंजीकरण, PAN, GST इत्यादि प्रमाण पत्र जो भी लागू हो संलग्न है।
12. निर्माता / डीलर का घोषणा पत्र संलग्न है।
13. **निविदादाता द्वारा घोषणा पत्र, बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा–पत्र एवं शपथ पत्र तीनों दस्तावेजों की मूल प्रति पचास रुपये के गैर–न्यायिक स्टाम्प पर देना अनिवार्य है।**
14. श्रमिको को कृषि महाविद्यालय, बायतु में ऑफिस कार्य, प्रयोगशाला कार्य, कम्प्यूटर ऑपरेटर, चौकीदारी, साफ–सफाई, कृषि कार्य, एवं अन्य कार्य हेतु, उच्च कुशल अर्ध्दकुशल व अकुशल श्रमिक आपूर्ति हेतु लगाया जा सकता है।
15. बिल का भुगतान माह पूरा होने के पश्चात् कोष–कार्यालय जोधपुर से बिल पास होने के बाद ऑनलाईन किया जावेगा।
16. किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, बायतु के मध्यस्थ प्रस्तुत करना होगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर

कृषि महाविद्यालय, बायतु–344034
(कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर)

COLLEGE OF AGRICULTURE, BAYTU-344034
(AGRICULTURE UNIVERSITY, JODHPUR)

E-mail: deanbatadubarmer@aujodhpur.ac.in Contact No.: (O) 02982-294348/(M) 9530490348

निविदा शर्तें

परिशिष्ट संख्या–1

1. प्रस्तावित निविदा सीलबन्द होनी चाहिए। निविदा का विवरण लिफाफे के ऊपर साफ लिखकर अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, बायतु–344034 स्पष्ट लिखकर कार्यालय में प्रस्तुत करें ।
2. प्रस्तावित दर अंकों में स्पष्ट लिखकर देना होगा किसी भी प्रकार की काट छांट होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। उक्त दरे 31.03.2026 तक मान्य होगी जिसे आपसी सहमति से तीन माह तक के लिए बढाया जा सकता है।
3. निविदादाता/फर्म का केन्द्र/राज्य सरकार के श्रम विभाग के अधिनियमों के प्रचलित नियमों के अन्तर्गत पंजीकरण होना वांछित है। पंजीकरण संख्या व उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी है।
4. प्रस्तावित दर देने से पूर्व समस्त प्रविष्टि को ध्यानपूर्वक पढ़े एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है अन्यथा अधोहस्ताक्षरकर्ता को निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
5. निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की स्थिति में भुगतान प्रति की प्रतिलिपी संलग्न करें।
6. निविदा प्रपत्र कार्यालय में कार्य दिवस में रूपये 500/– जमा नकद/D.D. (in favour of DEAN COLLEGE OF AGRICULTURE BAYTU, BARMER)/E-Transfer{A/c Name- **DEAN, COLLEGE OF AGRICULTURE, BAYTU, BARMER**, A/C No. **7741000100158123**, IFSC- **PUNB0774100**, Branch- **Baytoo Bhopji** } के द्वारा करा कर प्राप्त किया जा सकता है।
7. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ मे किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने ई.पी.एफ/ई.एस. आई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एंव दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिए इस संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
8. अगर निविदादाता/फर्म अपना कार्य निश्चित अवधि के बीच में छोडता है व श्रमिकों को भुगतान नहीं करता है या कार्य संतोषजनक नहीं करने पर उसको इस कार्यालय द्वारा नियमानुसार इस ठेके से हटा दिया जावेगा और जमा अमानत राशि भी जब्त कर ली जाएगी।
9. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबन्धित संवेदक का होगा ।
10. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियम एंव उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एंव कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली मे भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ इस संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।
11. निविदा सूचना में प्रकाशित शर्ते राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम–68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 की शर्तों निविदा का भाग मानी जाएगी।
12. निर्धारित समय में कार्य संपन्न नहीं करने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 एवं राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों व अन्य प्रचलित नियमों के अनुसार राशि वसूल की जाएगी।
13. उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्ते निविदा सूचना राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्षिता नियम, 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम–68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के प्रावधानानुसार लागू होगी।
14. कृषि महाविद्यालय, बायतु, बाड़मेर द्वारा निर्धारित दर (जो निविदा फार्म में दर्शायी गयी हैं) से कम प्रस्तुत की गई दरों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
15. न्युनतम मजदुरी दर राजस्थान सरकार (श्रम विभाग) द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ. 8(5)(6) न्यू.म.अभि./आई.आर. /श्रम/2000/पार्ट/17953 जयपुर, दिनांक 28.06.2022 के अनुसार लागू होगी। दरें परिवर्तित होने पर श्रमिकों को उसी दर से भुगतान करना होगा।
16. निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही भरनी होगी।
17. यदि इस संस्था को अंशकालिक (Part–time) मानव संसाधनों की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिए आवश्यकता हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख करते हुए सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा बिड सम्बन्धी कार्रवाई की जावेगी । ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाएं 4 घण्टे से कम अवधि के लिए ली जायेंगी उन्हें उनकी सेवाओं के विरूद्ध न्यूनतम मजदूरी का गणना श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जायेगी।
18. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर मे श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर इस संस्था द्वारा संवेदक को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
19. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातो में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते मे जमा कराई राशि का विवरण इस संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिको के बैंक खातो में जमा कराई गई राशि के विवरण के बाबत् इस संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

20. विश्वविद्यालय द्वारा निविदादाता/फर्म के श्रमिक बिलों के भुगतान में अगर किसी कारणवश देरी होती है तो भी श्रमिकों को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक भुगतान करना आवश्यक होगा अन्यथा देरी से भुगतान करने की शिकायत पर महाविद्यालय कमेठी द्वारा निर्धारित पेनलटी के हिसाब से कृषि महाविद्यालय, बायतु में क्षति (पेनल्टी) की राशि जमा करवानी होगी। भुगतान देरी से होने पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
21. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
22. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एंव ई. एस.आई. जमा कराना होगा । जिसमे नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा । संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा ।
23. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर सूचना पट्ट लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिको हेतु हेल्पलाईन नं. एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा ।
24. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा ।
25. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी । संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गयें वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान के प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नही किया जायेगा । उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
26. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों ,उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशो की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं दिशा–निर्देशो आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए संवेदक स्वंय उत्तरदायी होगा।
27. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गयें श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिए उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एंव राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एंव उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
28. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिए जाने पर औधौगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा ।
29. फर्म/प्लेसमेंट ऐजेंसी की RTPPA 2012, RTPPR 2013 एवं GR & AR में उपलब्ध प्रावधान की पालना करनी होगी तथा उल्लंघन पर प्रावधानानुसार कार्यवाही/क्षति/पेनल्टी वसूली जावेगी ।
30. श्रमिकों को लाने, ले जाने, आदि कार्य व अन्य श्रमिक क्षति होने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
31. चौकीदार/लेबर आदि अपनी उपस्थिति प्रत्येक माह कार्य से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से सत्यापित करायेगा। अधिकारी/कर्मचारी के सत्यापन के पश्चात् ही उस माह का मानदेय देय होगा।
32. किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद का न्यायिक क्षेत्र जोधपुर होगा।
33. किसी भी शर्त की पूर्ववत पालना न होने पर निविदा किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
34. माहवार कार्य की गणना 26 दिवस (श्रम विभाग राजस्थान सरकार अधिसूचना क्रमांक/एफ. 5 (6)/न्यू.म./ श्रम/2000/ पार्ट/1125 दिनांक 16.01.2018) के हिसाब से की जावेगी ।
35. नियमानुसार टीडीएस काटा जावेगा।
36. निविदा प्रपत्र भरने हेतु आधार/पैनकार्ड होना आवश्यक है (जिसकी स्व हस्ताक्षरित सत्यापित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें)।
37. निविदादाता/फर्म को बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा–पत्र (Form of Bid-Securing Declaration) अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, बायतु 344034 के नाम निविदा प्रारूप के साथ प्रस्तुत करना होगा।
38. कार्यों का भुगतान संतोषजनक होने पर ही प्रत्येक माह का भुगतान देय होगा। किसी भी लापरवाही के चलते व अनुपस्थिति की अवस्था में दैनिक वेतन काटने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
39. किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण के दौरान यदि श्रमिक कार्यालय/कार्यस्थल से अनुपस्थित पाया जाता है या कार्य में लापरवाही पायी जाती है तो उसके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
40. यह ठेका किसी अन्य फर्म को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा तथा जिस फर्म के नाम ठेका है वही कार्य करेगी अन्य कोई नहीं। फर्म खुद श्रमिक लगाकर इन कार्यों को करवा सकती है जिसका भुगतान फर्म अपने स्वयं के मासिक भुगतान में से करेगी।
41. सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति हेतु प्रपत्र में दी गई दरें 31 मार्च 2025 तक के लिए मान्य होंगी, जिसे आपसी सहमति से 3 माह के लिए प्रचलित दरों पर बढ़ाया जा सकता है।

42. महाविद्यालय में प्रतिदिन आवश्यकतानुसार श्रमिक उपलब्ध करवाने हेतु निविदाकर्ता बाध्य होगा। यदि निविदाकर्ता समय पर श्रमिक उपलब्ध नहीं करवाता है तो कार्य को देखते हुए महाविद्यालय अपने स्तर पर श्रमिकों की व्यवस्था करेगा तथा अतिरिक्त धन राशि का श्रमिकों को किया गया भुगतान ठेकेदार को करना होगा।
43. किसी भी ब्लैक लिस्टेट फर्म व जिस फर्म का पूर्व में किसी भी तरह किसी संस्था व इस केन्द्र द्वारा उसका भुगतान काटा गया हो तो वह इस कार्य के ठेके में अपना आवेदन नहीं करेगा।
44. समस्त भुगतान स्वीकृत फर्म/प्लेसमेंट ऐजेन्सी को चैक/NEFT /ई–भुगतान/बैंक द्वारा किया जावेगा ।
45. श्रमिकों को संबंधित कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक उपलब्ध करवाने बाबत इस कार्यालय द्वारा अग्रिम धन राशि देय नहीं होगी।
46. कार्यालय में श्रमिक आवश्यकतानुसार ही लगाएंगे जाएंगे व नियोजित करने का अधिकार इस कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। विश्वविद्यालय द्वारा स्थाई कर्मचारियों की नियुक्ति होने पर उन श्रमिकों को हटाया जा सकता है।
47. अर्द्वकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करने वाले को पढना व लिखना आना जरूरी है।
48. राजस्थान सरकार द्वारा दरों में किसी भी प्रकार का संशोधन किये जाने पर संशोधित दरें लागू होगी।
49. दो या दो से अधिक निविदादाताओं द्वारा दी गयी दरों में यदि समानता होती है तो अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, बायतु द्वारा किया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
50. अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग फर्मों के न्यूनतम दरें प्राप्त होने पर निविदा का विभाजन नहीं किया जायेगा।
51. यदि कोई फर्म न्यूनतम दर पर कुछ भी सर्विस चार्ज नहीं दर्शाती है तो ऐसी फर्म को गैर जवाबदेही माना जायेगा।
52. उक्त शर्तों को अध्ययन कर स्वीकार करने के रूप में फर्म/प्लेसमेंट ऐजेन्सी हस्ताक्षर एवं मोहर कर दी है।
53. निविदादाता उपरोक्त शर्तों को पूर्ण करने हेतु पाबन्द रहेगा/रहेगी।
54. सफल निविदादाता द्वारा निशचित समयावधि मे नियमानुसार सिक्योरिटि डिपोजिट व अनुबंध पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही कार्यलय आदेश जारी किया जाएगा। कार्यालय द्वारा निशचित समयावधि मे सिक्योरिटि डिपोजिट व अनुबंध पत्र प्रस्तुत नही करने पर निविदा नियमानुसार किसी अन्य को आवंटित की जा सकती है।

नोट– निविदा दो लिफाफा पद्धति में प्रस्तुत की जावेगी–

1. लिफाफा सं. 1(तकनीकी बिड) में फर्म/प्लेसमेंट ऐजेन्सी पंजीयन प्रमाण पत्र, **ESI/PF** रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, इत्यादि तथा बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा–पत्र (Form of Bid-Securing Declaration) तथा **DD/BC/GST** पंजीयन प्रमाण पत्र एवं शर्तें इत्यादि प्रस्तुत की जानी है । इसके अपूर्ण होने पर लिफाफा सं. 2 नहीं खोला जावेगा ।
2. लिफाफा सं. 2 (वित्तीय बिड) में केवल दर प्रपत्र प्रस्तुत किया जाना है ।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

कृषि महाविद्यालय, बायतु–344034
(कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर)

COLLEGE OF AGRICULTURE, BAYTU-344034
(AGRICULTURE UNIVERSITY, JODHPUR)

E-mail: deanbatadubarmer@aujodhpur.ac.in Contact No.: (O) 02982-294348/(M) 9530490348

वित्तीय निविदा प्रपत्र–2

(लिफाफा सं. 2 में रखे)

निविदादाता / फर्म / संस्था का नाम व पता...

दूरभाष :– .... ई–मेलः– ....

क्र. स.	श्रमिक श्रेणी	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरें (₹) *		सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत ीतिदिन मजदूरी दर (₹) *	EPF दर प्रतिशत % (₹) *	ESI दर प्रतिशत % (₹) *	सेवा प्रदाता द्वारा सर्विस चार्ज राशि कॉलम (5) पर देय (₹) *	कुल राशि (5 से 8=9) (₹) *
		प्रतिदिन	प्रतिमाह					
1	2	3		4	5	6	7	8
1.	अकुशल श्रमिक	285	7410					
2.	अर्द्ध कुशल श्रमिक	297	7722					
3.	कुशल श्रमिक	309	8034					
4.	उच्च कुशल श्रमिक	359	9334					

* सेवा प्रदाता द्वारा श्रमिको को देय पारिश्रमिक श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी(कॉलम संख्या 4) की दर से कम नही होगी।

* सरकार द्वारा दरों / प्रतिशत (कॉलम संख्या 3,5,6) में संशोधन होने पर श्रमिकों को भुगतान संशोधित दरों के अनुसार देय होगा।

क्र. सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970)				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर जी.एस.टी.				
5	आयकर (पैन कार्ड)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर व मोहर

निविदादाता का नाम...

प्रपत्र "ब"

(₹ 50 के गैर न्यायिक स्टॉम्प पत्र पर)

<u>निविदादाता द्वारा घोषणा</u>

मै/हम घोषणा करता हूँ/करते है, कि मैंने/हमने प्लेसमेंट कार्य/सेवा इकाई की जहाँ कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्ति सेवा इकाईयों के संतोषप्रद कार्य करने/होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है। मै/हम घोषणा करता हूँ/करते है, कि मेरा /हमारा किसी भी न्यायालय में सेवा प्रदायगी में Defaulter/दोषी का कोई वाद लम्बित नहीं है तथा विषयान्तर्गत मुझे/हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है। मै/हम घोषणा करता हूँ/ करते है, कि निविदा में वर्णित सभी शर्तों से सहमत हूँ व उन्हें पूर्ण करने हेतु पाबन्द हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

FORM OF BID-SECURING DECLARATION

(to be typed on non-judicial stamp paper of ₹ 50)

Date:
Bid No.:
Alternative No.:
To:

We, the undersigned, declare that:

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration. We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, In the following cases, namely: -

(a) when we withdraw or modify our bid after opening of bids;
(b) when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the Specified period;
(c) when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work Order within the time specified;
(d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work Order is placed; and
(e) if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government organization shall debar us from participating in any procurement process Undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this bid securing declaration shall expire if: -

(i) we are not the successful bidder;
(ii) the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
(iii) thirty days after the expiration of our bid.
(iv) The cancellation of the procurement process; or
(v) the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed:.. Name:.......... In the capacity of: .....

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of:

Dated on _______________ day of_______________

Corporate seal..

[Note: In case of a Joint Venture, the bid securing declaration must be signed in name of all Partners of the joint venture that is submitting the bid,]

Signature of tenderer with
official stamp

Date:
Place:

Format of Affidavit

(to be typed on non-judicial stamp paper)

I_______________________________S/o______________________Aged_________Yrs_____

Residing at____

Proprietor/Partner/Director of M/s_________________do hereby solemnly affirm and declare that:

a. My/Our above noted enterprise M/s_______________________ has been issued acknowledgment of Entrepreneurial Memorandum Part-II by the District Industries Centre.................................. The acknowledgement No. is .... dated and has been issued for manufacture/supply of following items.

   Name of Item

   i)
   ii)
   iii)
   iv)
   v)
   vi)

b. My/Our above noted acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part - II has not been cancelled or withdrawn by the Industries Department and that the enterprise is regularly manufacturing/supplying the above items.

c. My/Our enterprise is having all the requisite plant and machinery and is fully equipped to manufacture/supply the above noted items.

Signature of Proprietor/ Director / Authorized Signatory with Rubber Stamp and date

Date _____________

Place _____________

Verification

I__________________________________S/o________________________________Aged _________Yrs_____________ Residing at_____________Proprietor/Partner/Director of M/s _________________________________ verify and confirm that the contents at (a), (b) and (c) above are true and correct to the best of my knowledge and nothing has been concealed there in. So, help me God.

Deponent

Annexure - A

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of interest

Any person participating in a procurement process shall -

a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the Procurement process;
b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
c) not indulge in any collusion, bid rigging or anti-competitive behaviour to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
g) disclose conflict of interest, if any: and
h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three year or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of interest is considered to, be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, if including but not limited to:

a) have controlling partners/ shareholders in common; or
b) receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c) have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d) have a relationship with each other', directly or through common third parties, that put them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e) the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process- Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all. Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f) the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g) Bidder or any of its affiliates has been hired (on is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

22

Signature of the Bidder with seal

Annexure B
Declaration by the Bidder regarding Qualifications

In relation to my/our Bid-submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bid No. .... Dated .... I / We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act. 2012, that:

1. I / We possess the necessary professorial, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my, /our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct on the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Place:

Signature of bidder :

Name :

Designation :

Address :

Signature of the Bidder with seal

Annexure C

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is:

....

The designation and address of the Second Appellate Authority is –

....

1) **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved: Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be field only by a Bidder who has participated in procurement proceedings: Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to the acceptable.

2) The officer to whom an appeal is filed under para (l) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal,

3) If the officer designated. under para (1) fails of dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the bidder or prospective bidder or the procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (23) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

4) **Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:

a) Determination of procurement;
b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
c) The decision of whether or not to enter into negotiation;
d) Cancellation of a procurement process;
e) Applicability of the provisions of confidentiality.

5) **Form of Appeal**

a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed from along with as many copies as there are respondents in the appeal.
b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit
c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or second Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

6) **Fee for filling appeal**

a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall rupees ten thousand, which shall be, non-refundable,
b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a scheduled Bank in India payable in the name of appealed Authority concerned.

7) Procedure for disposal of appeal

a) The First Appellate Authority or second Appellate Authority, as; the case may be, filling of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and document, if any to the respondents and fix date of hearing.
b) On the date fixed for hearing the First Appellate Authority or Second Authority, as the case may be, shall, -

   (i) hear all the parties to appeal present before him; and

   (ii) peruse or inspect documents; relevant records or copies thereof relating to the matter.

c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Signature of the Bidder with seal

Annexure D

Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors: -**
   Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following's basis, namely:
   a) if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall correct, unless in the opinion of the Procuring notify there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected
   b) if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals. The subtotals shall prevail and the total Shall be corrected and
   c) if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (a) and (b) above. if the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed,
2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**
   a) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified Percentage, but such increased or decreased shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document, It shall be without any change in the unit prices or, other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
   b) If the Procuring entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
   c) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.
3. **Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award**
   As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be, procured the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity o subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in affair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of the Bidder with seal

FORM No. 1
(See sub-rule 1 of rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No…………………………………of……………………………………… Before
……………………………………………………………… (Appellate Authority)

1. **Particulars of Appellant:**
   i. Name and father's name of the appellant: ………………………………
   ii. Official address: …………………………
   iii. Residential address: -……………………………………………………
2. **Name and address of the respondent(s)**
   i. ……………………………………………………………………………
   ii. ……………………………………………………………………………
   iii. ……………………………………………………………………………
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order, or a statement of a decision, action or omission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved
   ……………………………………………………………………………………
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative / or advocate their names and postal addresses.
5. Number and nature of affidavits furnished along with this appeal
6. Grounds of appeal:
   ……………………………………………………………………………………
   ……………………………………………………………………………………
   ……………………………………………………………………………………
   ……………………………………………………………………………………
   ………… (Supported by an affidavit)
7. Prayer :
   ……………………………………………………………………………………
   ………………………………………………
   ……………………………………………………………………………………
   ……………………………………………………………

Place ……………………………………

Date ……………………………………

21

Signature of the Bidder with seal

Document Checklist

S. No.	Document	Page No.	Checklist (✓/×)
1.	Bid-Security Declaration (to be given on non-judicial stamp paper of ₹ 50)		
2.	निविदादाता द्वारा घोषणा (₹ 50 के गैर न्यायिक स्टॉम्प पत्र पर)		
3.	घोषणा पत्र (गैर–न्यायिक स्टाम्प)		
4.	DD (Challan/Bank Reciept)		
5.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970)		
6.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 (PF)		
7.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (ESI)		
8.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत		
9.	जी.एस.टी (वस्तु एवं सेवा कर)		
10.	पैन कार्ड (आयकर)		
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			